दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
13/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान अनु० वादी का वाद 09/23 जारी में खारिज किया जा चुका है इसलिए अब T.I प्रा. पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है, इसलिए T.I प्रा. पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Singh
Date: 2024.10.30 12:41:25 IST
Reason: SelfAttested